कीमत 2 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंकलाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मजदूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अखबार

ग्रंथ 24 – अंक 1 | जनवरी 1–15, 2010 | पाक्षिक अखबार

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की 29वीं सालगिरह के मौके पर भव्य समारोह :

सिर्फ वही पार्टी कम्युनिस्ट हो सकती है जो श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व के लिये काम कर रही हो!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के जीवन के 30वें वर्ष की शुरुआत मनाने के लिये 25 दिसम्बर, 2009 को दिल्ली में एक भव्य राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात, वर्तमान हालातों और हिन्दोस्तानी मजदूर वर्ग व कम्युनिस्टों के सामने, खास तौर पर कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी जो मजदूर वर्ग को सत्ता में लाने के अपने काम के 30वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, के सामने चुनौतियों पर चर्चा के लिये दो दिवसीय सम्मेलन किया गया।

25 से 27 दिसम्बर को उत्सव, समारोह व सम्मेलन एक ऐसे समय पर किया गया जब पूंजीवाद प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण के विनाश की ओर बढ़ रहा है और दुनिया भर में लोग इस संकट–ग्रस्त व्यवस्था का विकल्प ढूंढ रहे हैं। यह एक ऐसे समय पर हुआ है जब साम्राज्यवाद व कम्युनिज़्म के अर्थ के बारे में ही सबसे ज्यादा अज्ञान व भ्रम फैला हुआ है।

हिन्दोस्तान में, मजदूर वर्ग पर विभिन्न पार्टियां बोझ बन कर बैठी हैं जो समाजवादी व कम्युनिज़्म की तरफदारी का दावा तो करती हैं परन्तु अभ्यास में पूंजीपतियों के राज का समर्थन करती हैं। 25–27 दिसम्बर, 2009 के कार्यक्रम, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को, मजदूर वर्ग के आंदोलन को सफलता की तरफ ले जाने के लिये जरूरी सिद्धांत व कम्युनिस्ट विचारों से लैस करने के रास्ते में, एक अहम मीलपत्थर था।

> "मार्क्सवाद को वर्ग संघर्ष के सिद्धांत तक सीमित रखने का मतलब है उसको काटना, उसको विकृत करना, उसको कम करना ताकि वह पूंजीपति वर्ग को मंज़ूर हो। सिर्फ़ वही मार्क्सवादी है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व की मान्यता तक ले जाता है। यही प्रमुख बात है जो मार्क्सवादी और आम निम्न (और बड़े) पूंजीपति में अंतर दिखाती है। यही कसौटी है, जिसके आधार पर मार्क्सवाद की समझ और मान्यता की परख हो सकती है।" - लेनिन

25 दिसम्बर को सभागृह खचा–खच भरा हुआ था। इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेने के लिये देश के हर कोने से और विदेशों से भी साथी शामिल थे।

पार्टी के महासचिव कामरेड लाल सिंह ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि **सिर्फ वही पार्टी कम्युनिस्ट हो सकती है जो मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करने के लिये काम कर रही हो** इस शीर्षक पर एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर की प्रस्तुति की जायेगी। यह पेपर पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिवालय की अगुवाई में, केंद्रीय समिति के सैद्धांतिक काम करने वाले समूह ने तैयार किया है। उन्होंने सभी सहभागियों को इस पेपर का गंभीरता से अध्ययन करने के लिये और इसके मुख्य संदेश पर चर्चा करने का बुलावा दिया। उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि साथी पेपर की सिर्फ सराहना ही करें। हम चाहते हैं कि हर सहभागी वर्तमान परिस्थिति व मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करने के मार्ग पर अग्रसर होने के बारे में अपने मत प्रकट करें।"

पेपर का मुख्य निचोड़ था कि एक कम्युनिस्ट की परिभाषा ही है कि उसका लक्ष्य श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व, यानि कि मजदूर वर्ग, के नेतृत्व में मेहनतकशों का राज स्थापित करना है। कोई भी पार्टी जिसका राजनीतिक लक्ष्य कुछ और ही है, वह कम्युनिस्ट नहीं है। वह मार्क्सवादी या लेनिनवादी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह

(शेष पृष्ठ 4 पर)

शोपियां मामले में सी.बी.आई. द्वारा लिपा–पोती : असलीयत पर पर्दा डाला और लोगों का उत्पीड़न किया

कश्मीर में लोगों के खिलाफ़ आतंक की निन्दा करें!

मई 2009 को शोपियां में जहां चारों ओर सेना और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी साफ नजर आती है ऐसे में दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और निर्मम हत्या की गई। इसके खिलाफ़ पूरे कश्मीर में दो सप्ताह तक लोगों ने हड़तालें और जबर्दस्त प्रदर्शन किये और मांग की कि इस मामले के लिए जिम्मेदार सेना के जवानों के जुर्म की तहक़ीक़ात की जाये और गुनहगारों को सजा दी जाये (देखिये मजदूर एकता लहर का 1–15 जुलाई, 2009 का अंक)। सितंबर 2009 को यह मामला सी•बी•आई• को सौंपा गया। हाल ही में सी•बी•आई• ने यह ऐलान किया कि उन्होंने तहकीकात पूरी कर ली है जिसके मुताबिक यह पता चलता है कि इन महिलाओं के साथ न तो बलात्कार हुआ था और न ही उनकी हत्या की गई। बल्कि इन महिलाओं की मौत घुटने–भर गहरे पानी में डूबने से हुई! साथ ही सी•बी•आई• ने उन लोगों का उत्पीड़न करना शुरु कर दिया जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। महिलाओं के परिजनों की ओर से जो वकील केस लड़ रहे थे और जिन डॉक्टरों ने पोस्ट–मार्टम किये थे उनके खिलाफ़ भी उत्पीड़न शुरु कर दिया है।

जब से शोपियां का यह मामला सामने आया है उसी दिन से यह साफ नजर आता है कि राज्य के सशस्त्र बल और तमाम केंद्रीय और प्रांतीय एजेंसियां निर्ममता से लोगों को न्याय से वंचित करने और सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। इन महिलाओं को बागानों से अपने घर की ओर जिस रास्ते से जाना था वह रास्ता हमेशा सशस्त्र सेना और अर्धसैनिक बलों से भरा रहता है। इस रास्ते पर एक जिला पुलिस लाईन, एक सेना की चौकी और एक सी•आर•पी•एफ• कैंप मौजूद है। इसके बावजूद सुरक्षा बल यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। महिलाओं के मृत शरीरों में से एक महिला का मृत शरीर सुबह उस जगह पाया गया जहां पर कुछ घंटे पहले लोगों ने और परिजनों ने काफी छानबीन की थी लेकिन कुछ नजर नहीं आया था।

गुज्जर खानाबदोश जो कि इस इलाके में डेरा डाले हुए थे उन्होंने बताया कि उन्होंने 29 मई की रात को महिलाओं की चीखें सुनी थी। इन खानाबदोशों को अगली ही रात सुरक्षा बलों ने वहां से भगा दिया। सड़कों पर लगातार प्रदर्शन के बाद, आखिर एक सप्ताह के बाद इस मामले की एक एफ•आई•आर• 7 जून, 2009 को दर्ज की गई। जबकि एक सप्ताह से ज्यादा वक्त बीत चुका था। 6 जून, 2009 को जारी की गई फारेंसिक रिपोर्ट और पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि उन महिलाओं का बलात्कार और कत्ल किया गया था।

शोपियां बार असोसिएशन ने यह आरोप लगाया था कि इस मामले के चश्मदीद गवाह पुलिस के विशेष जांच दस्ते (एस•आई•टी•) की हिरासत में हैं लेकिन 17 जून तक उनको मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात होता है कि इन गवाहों को खामोश करने की कोशिश की गई थी। जबर्दस्त जन प्रदर्शनों के बाद एक न्यायिक जांच बैठाई गई लेकिन लोगों को इस पर विश्वास नहीं था क्योंकि इस जांच समिति के अध्यक्ष पद पर एक सेवा निवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया था जबकि ऐसे मामलों में न्यायाधीश की नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

सशस्त्र बलों द्वारा बलात्कार, टार्चर और कत्ल करना यह सब कश्मीर और उत्तर–पूर्व के राज्यों में बहुत आम बात हो गई है, जहां पर सशस्त्र बलों का राज चलता है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून, इस फाशीवादी कानून के तहत सेना और अर्धसैनिक बलों को किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से पूरी तरह की छूट दी गई है, चाहे वे कितना ही वहशी गुनाह क्यों न करें। इसलिए यह स्वाभाविक है कि कश्मीर, मणिपुर और उत्तर–पूर्व के अन्य राज्यों के लोग जहां पर सेना और अर्धसैनिक बलों का कब्जा है सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून और अन्य फाशीवादी कानूनों के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। इस तरह के बलात्कार और कत्ल के मामलों के खिलाफ़ लोग एकजुट होकर सड़कों पर आ जाते हैं और सशस्त्र बलों को चुनौती देते हैं। इसलिए सरकारी अधिकारी ऐसे मामलों को साधारण हादसा या फिर शोपियां जैसे "डूबने से हुई मौत" कहकर दबाने का जतन करते हैं।

1 जून, 2009 को मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि यह मामला "पानी में डूबकर" मरने का मामला है, जबकि जिस नहर में इन महिलाओं के शव पाये गये थे वहां पर केवल घुटने–भर ही पानी था। इस इलाके में ऐसा मामला कभी हुआ ही नहीं जहां घुटने–भर पानी में कोई डूब गया हो, और इन महिलाओं के खुद डूबने का कोई कारण भी नहीं था। इसके अलावा 30 मई, 2009 को जो फ्लोटेशन टेस्ट किये गये उससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह डूबकर मरने का मामला नहीं है। अब इस बात का पर्दाफाश हो गया है कि सी•बी•आई• ने गवाहों पर दबाव डालकर उनका बयान बदलने पर मजबूर किया है।

सी•बी•आई• ने पहले उस डाक्टर को अपना बयान बदलने के लिए दबाव डाला जिसने यह साबित किया था कि महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा हुई थी। दबाव के चलते डाक्टर ने कहा कि उसने पहले झूठ कहा था। उसके बाद 28 सितंबर को मृत महिलाओं के शरीर को कब्र से निकाला गया। उनके शरीरों की ठीक से जांच भी नहीं हुई थी कि सी•बी•आई• ने दावा किया कि इन महिलाओं के साथ कोई लैंगिक हिंसा हुई इसका कोई सबूत नहीं मिला। मृत महिलाओं के सभी परिजनों के साथ सी•बी•आई• ने दर्जनों बार तहकीकात की। लेकिन जिन चार पुलिस अधिकारियों पर जांच की जिम्मेदारी थी और जिन्होंने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने अपना काम करने में लापरवाही दिखाई थी जिसकी वजह से अहम सबूत नष्ट हो गये उसके साथ सी•बी•आई• ने एक बार भी सवाल जवाब नहीं किया। ऐसा पता चलता है कि वह डाक्टर जिसने सबसे पहले पोस्टमार्टम करके बताया था कि महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा हुई थी, उसको तंग करने के अलावा सी•बी•आई• शोपियां बार असोसिएशन के सदस्यों और अन्य लोगों को तंग कर रही है जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं।

पिछले 60 वर्षों से कश्मीर के लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है। केंद्रीय सरकार इस बात को मानने से इंकार कर रही है कि कश्मीर के लोगों के अपने राष्ट्रीय अधिकार हैं और उन्हें अपने भविष्य का फैसला करने का हक है। जब से हिन्दोस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, तब से कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा है तो दूसरे हिस्से पर हिन्दोस्तानी सेना का। कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्धारण के अधिकार को एक जायज राजनीतिक मांग मानने के बजाय हिन्दोस्तानी सरकार रट लगाती जा रही है कि "कश्मीर हिन्दोस्तान का अखंड हिस्सा है"। जो कोई इसको चुनौती देता है उसे सरकार देशद्रोही, और आतंकवादी घोषित कर देती है। हिन्दोस्तानी हुक्मरानों की नीतियों के चलते एक राजनीतिक समस्या को "कानून और व्यवस्था" का मसला बना दिया गया है। राष्ट्रीय अधिकारों और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को दबाये जाने के कारण कश्मीर में आज़ादी का संघर्ष लगातार चल रहा है।

शोपियां में हुए निर्मम गुनाहों पर पर्दा डाले जाने और बेगुनाहों का उत्पीड़न किये जाने की निंदा की जानी चाहिए। जो लोग इस गुनाह में शामिल थे उनके खिलाफ़ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जो लोग सच्चाई बयान कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की निंदा की जानी चाहिए। कश्मीर से सशस्त्र बलों को हटाया जाना चाहिए और सारे देश से सशस्त्रबल विशेष अधिकार कानून को हटाया जाना चाहिए। ■

नारायणपटना में राज्य द्वारा आदिवासियों के दमन की निंदा करें!

ओडिसा के कोरापुट जिले के नारायणपटना ब्लॉक में राज्य की पुलिस ने आदिवासियों के खिलाफ़ जबर्दस्त दमन का अभियान शुरु किया हुआ है।

पिछले कई दशकों से इस इलाके के लोगों को जंगल अधिकारी, शासन तंत्र, पुलिस और भू–माफिया इत्यादि द्वारा शोषण और दमन का शिकार बनाया जाता रहा है। इन आदिवासी लोगों से उनकी पारंपरिक जमीन और रोजी–रोटी का जरिया जबर्दस्ती से छीन लिया गया है। शोषण और अपने रोजी–रोटी छीने जाने के खिलाफ़ इन आदिवासी लोगों के प्रतिरोध को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों के खिलाफ़ धमकी, बलात्कार और कत्ल सहित तमाम हथकंडों का लगातार इस्तेमाल करते आये हैं। इस दमन को जायज साबित करने के लिए प्रशासन इन आदिवासियों को "माओवादी" घोषित कर रहा है।

20 नवंबर को पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी किया जिसमें दो कार्यकर्ता मारे गये। 63 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। विरोध कर रहे आदिवासियों को पीटा गया, महिलाओं पर हमला किया गया और उनके घरों और फसलों को बर्बाद किया गया। आदिवासियों और उनके संघर्ष को कुचलने के लिए सी•आर•पी•एफ•, आर•पी•एफ• और विशेष पुलिस की टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं। 10 दिसंबर, 2009 को जमींदारों के गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में 9 महिला कार्यकर्ताओं पर हमला किया जो इस इलाके का दौरा कर रही थीं। हमले में महिलाएं जख्मी हुईं।

मजदूर एकता लहर नारायणपटना में आदिवासी लोगों पर चलाये जा रहे दमन, उनको जमीन से और रोजी–रोटी से वंचित किए जाने, उनके प्रतिरोध को पुलिस दमन द्वारा कुचले जाने की कड़ी निंदा करती है। मजदूर एकता लहर मजदूर वर्ग और तमाम मेहनतकश लोगों से यह आह्वान करती है कि देशभर में हमारे आदिवासी भाईयों पर चलाये जा रहे शोषण–दमन के खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। ■

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का पाक्षिक अखबार

मजदूर एकता लहर

वार्षिक शुल्क 50 रुपये, कृपया मनीआर्डर निम्न पते पर भेजिये : श्री चन्द्रभान, ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020, फोन 09868721375

मनीआर्डर फार्म भरते समय संदेश के स्थान पर स्पष्ट अक्षरों में अपना पता व फोन नम्बर अवश्य लिखें ताकि आपसे संपर्क किया जा सके

Internet Edition

Mazdoor Ekta Lehar (Hindi Fortnightly)
Mazdoor Ekta Lehar (English Fortnightly)
Mazdoor Ekta Lehar (Punjabi Monthly)
http://www.cgpi.org, E-mail:- mail@cgpi.org,
e-mail : melpaper@yahoo.com

कोपेनहेगन में जलवायु शिखर सम्मेलन बिना विश्वव्यापी समझौते के समाप्त :

पूंजीवाद द्वारा थोपी गई शर्तों के अंतर्गत पर्यावरण संकट का समाधान संभव नहीं

दुनिया भर से 45,000 लोग दिसम्बर, 2009 में जलवायु परिवर्तन पर एक नये विश्वव्यापी समझौते की आशा से कोपेनहेगन पहुंचे। बहुत से लोग ऐसे देशों में से थे, जहां जलवायु परिवर्तन से लोगों की रोजी–रोटी और यहां तक कि जीवन को भी भयंकर खतरा है। परंतु 192 देशों की भागीदारी से हुए इस सम्मेलन का नतीजा सिर्फ इतना ही था कि अमरीका और पांच अन्य देशों ने एक सौदा किया! शिखर सम्मेलन का स्वभाव निम्नलिखित से जाहिर होता है – साम्राज्यवादी देशों के बीच तीखी होड़; विभिन्न देशों के मध्यस्थों के विरोध–प्रदर्शन, जब उन्हें दरकिनार करने की कोशिशें की गयीं और दूसरे "महत्वपूर्ण" देशों को केन्द्र बिंदु में लाया गया; हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा कोपेनहेगन की सड़कों पर प्रदर्शन, जिन्हें बेरहमी से कुचला गया; तथा अलग–अलग हितों को "मंजूर" कुछ भी पाने के लिए कठिन मोल–भाव। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन द्वारा कोई भी लागू करने योग्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझौतों की विफलता इसी सच्चाई की पुष्टि करता है कि पूंजीवाद द्वारा थोपी गयी शर्तों के अंतर्गत पर्यावरण संकट का समाधान असंभव है।

1997 में क्योटो में हुए संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन समझौते ने 38 औद्योगिक देशों पर ग्रीन हाऊस पर प्रभाव डालने वाली गैसों के उत्सर्जन को 1990 के मुकाबले कुछ प्रतिशत कम करने की बंदिश लगाई। 2005 तक, जब ज्यादातर हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने–अपने देशों में मंजूरी प्राप्त कर ली थी। यूरोपीय संघ के देशों ने 8 प्रतिशत उत्सर्जन कम करने की बात स्वीकार की। परंतु उस समय के अमरीकी राष्ट्रपति, जार्ज बुश ने उस समझौते को मानने से इंकार किया जबकि अमरीका दुनियाभर के देशों में सबसे ज्यादा ग्रीन हाऊस पर प्रभाव डालने वाली गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। दुनियाभर के कुल उत्सर्जन में एक चौथाई के लिए सिर्फ अमरीका ही जिम्मेदार है। अमरीका द्वारा समझौते की अवहेलना के कारण दूसरी उभरती साम्राज्यवादी ताकतों से समझौते को मनवाना बहुत मुश्किल हो गया।

उस दौरान जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन व समस्या का सामना करने की कोशिशें जारी रहीं। अब तक यह साफ हो गया है कि मानव जाति पर एक बड़ी आपदा का खतरा है; यह साफ है कि मुनाफे बढ़ाने के अतिलोभ पर आधारित बिना योजना के विकास से पर्यावरण में कभी न सुधारा जा सकने वाला नुकसान हो रहा है जिससे व्यक्तियों, समाजों, राष्ट्रों तथा पूरी दुनिया पर्यावरण की बर्बादी के कगार पर खड़ी है। साम्राज्यवादी नज़रिये के अनुसार, पूंजी के मुट्ठीभर कुलीन मालिकों तथा उनके राजनीतिक संस्थापनों के पास पृथ्वी के विकास की दिशा तय करने की निरंकुश राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए, जबकि लोगों को उनके फुर्तीले परंतु निष्फल विरोध से संतुष्ट रहना होगा। साम्राज्यवादियों द्वारा सुझाई गई योजनायें जैसे कि कार्बन–व्यापार, कार्बन–कर व अन्य तथाकथित हरित–पहलकदमियां – जो लोगों को मैदान से बाहर रखकर सरमायदारों द्वारा मुनाफा बनाने के लिये प्राकृतिक संपदा के दोहन व विनाश के उनके बल व विशेषाधिकार को और मजबूत करते हैं।

कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन शुरु होने के बहुत पहले से ही अलग–अलग तरह के लोग संदेह प्रकट कर रहे थे कि क्या यह सम्मेलन सफल हो भी सकता है। एक तरफ स्थापित साम्राज्यवादी देश हैं जिन्होंने सदियों से बस्तीवाद, जंग और दुनिया भर के लोगों की धरती व श्रम की लूट के द्वारा अपनी ताकत बढ़ायी है और जो अपने विशेषाधिकारों को बरकरार रखना चाहते हैं और सुधार नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पर्यावरण के संकट का बोझ औद्योगिक तौर पर अविकसित देशों सहित सब देशों को बराबरी से सहना चाहिए। दूसरी तरफ, साम्राज्यवादी मंसूबे रखने वाले हिन्दोस्तान व चीन जैसे देशों के पूंजीपति हैं जो दावा कर रहे हैं कि अब उनकी, स्थापित साम्राज्यवादी ताकतों की तरह ही औद्योगिकीकरण और "विकसित" होने की बारी है। यानि कि उनका कहना है कि खुद के "विकास" के लिये पर्यावरण को खराब करने की अब उनकी बारी है।

दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा आम लोग जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण में कभी न सुधारे जा सकने वाले नुकसान को एक गंभीर मुद्दा मानते हैं, जिसका तुरंत समाधान निकाला जाना चाहिए। परंतु साम्राज्यवादी व पूंजीवादी देशों के हुक्मरान चाहते हैं कि समस्या का "समाधान" ऐसे सौदों के जरिये हो जिनमें लोगों की धरती व संसाधनों की लूट–खसौट का उनका अधिकार बरकरार रहे। जिस तरह लोग दूसरे जनहित से संबंधित मुद्दों के बारे में निर्णय लेने से बाहर रखे गये हैं उसी तरह, उनकी इच्छा है कि दुनिया के लोगों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों के बारे में निर्णय लेने से बाहर रखा जाये। परंतु दुनिया के लोग अपनी धरती व पृथ्वी से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होना चाहते हैं जैसा कि पर्यावरण को बचाने के लिये तेजी से हो रहे प्रदर्शनों से पता चलता है।

नतीजन, अलग–अलग देशों से हजारों कार्यकर्ताओं ने कोपेनहेगन की सड़कों पर भारी प्रदर्शन किये। उनका विरोध ऐसे दांव–पेचों के खिलाफ़ था जिनके द्वारा उनको सम्मेलन स्थल से दूर रखा गया था। उन्होंने नारे लगाये जैसे कि "सत्ता पर कब्ज़ा करो!", "लोगों की सभा में शामिल हो!", "आदिवासियों के अधिकारों को सम्मान दो!", जबकि बहुत से अमरीकी मूल निवासियों ने नगाड़े बजाकर अपने गीत गाये। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उन्हें मारा–पीटा। प्रदर्शनकारियों का एक दल बैला सेंटर (जहां सम्मेलन चल रहा था) से बाहर निकलकर टार्नबी (कोपेनहेगन से कुछ किलोमीटर दूर एक उपनगर) से आ रहे दूसरे दल से मिलने वाला था। परंतु पुलिस ने दोनों दलों के मिलने वाले रास्ते बंद कर दिये और आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से मिलने नहीं दिया।

इससे साफ दिखता है कि कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में चल रही पूरी प्रक्रिया गैर–लोकतांत्रिक थी। अपने विशेषाधिकारों में कटौती पर साम्राज्यवादी देशों का विरोध इतना खुल्लम–खुल्ला था कि जर्मनी की चांसलर को औद्योगिक देशों द्वारा किये वायदों को खुले रूप में अपर्याप्त बताना पड़ा। उन्होंने कहा कि अमरीका के चार प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव में "इच्छाशक्ति की कमी है"। कार्यप्रणाली बतौर शिखर सम्मेलन एक फरेब था, जिसमें आयोजक जल्दबाजी कर रहे थे कि किसी तरह कुछ भी निष्कर्ष निकल जाये। दूसरे देशों की सोच थी कि सब कुछ ठीक से मोल–भाव के लिये खुला होना चाहिए और जल्दबाजी के बारे में एक के बाद एक देशों ने अपना विरोध जताया। सत्रों का रद्दीकरण आम बात हो गयी। कम औद्योगिक देशों के प्रतिनिधियों ने डेनमार्क के सुझाव की निंदा की कि एक छोटे सौदेबाजी गुट द्वारा मसौदे को तेज़ी से तैयार कर देना चाहिए। परंतु प्रतिनिधियों का कहना था कि प्रक्रिया सब को सम्मिलित करने वाली होनी चाहिए।

जब यह स्पष्ट हो गया कि सैकड़ों घंटों से खिंच रही समझौते की बात–चीत कहीं नहीं पहुंच रही है और सम्मेलन एक शर्मनाक असफलता की ओर जायेगा, तब कॉमिक्स के सुपरमैन के जैसे अमरीकी राष्ट्रपति परिस्थिति को बचाने के लिये उतरे। चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ "सकारात्मक" मीटिंग करके रिपोर्टों के अनुसार, वह बिन बुलाये अचानक बी.ए.एस.आई.सी. (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, हिन्दोस्तान व चीन) की मीटिंग में सौदेबाजी के लिये घुस गया। करार में दुनियाभर के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने देने की छूट और औद्योगिक देशों द्वारा उत्सर्जन में कटौती को प्रमाणित करने के ढंग की मांगें पेश की गयी हैं। तीव्र तकरार के बाद सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सौदे पर ध्यान दिलाया गया है पर उसे मान्यता नहीं दी गयी है। अमरीकी राज्य सचिव हिलेरी क्लिंटन द्वारा घोषित 10 बिलियन डालर्स के मदद कोष को बहुत से देशों व लोगों ने छल–कपट वाला बताकर निंदा की; जबकि साम्राज्यवादी देश हथियारों पर हजारों बिलियन डालर्स खर्च करते हैं, ऐसी छोटी सी "सहायक निधि" के जरिये वे पर्यावरण के विनाश में अपनी अहम भूमिका से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं।

कोपेनहेगन में विभिन्न साम्राज्यवादी गुटों व स्थापित साम्राज्यवादी ताकतों के नेताओं तथा उभरती साम्राज्यवादी ताकतों के बीच की होड़ व लड़ाई ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने मुनाफा बनाने के अपने अतिलोभ के कारण पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, वे उस समस्या का समाधान नहीं दे सकते हैं। लोगों के कल्याण की जगह मुनाफों को अधिकतम बनाने वाले पूंजीवादी ढांचे में पर्यावरण जैसी गंभीर समस्या का हल नहीं निकल सकता है। अपने पर्यावरण के बचाव के लिये, हिन्दोस्तानी मेहनतकश लोग अपनी सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते, जिसने अमरीका व दूसरी साम्राज्यवादी ताकतों के साथ धुंधली सौदेबाजी की है ताकि हिन्दोस्तान के मुट्ठीभर अमीरों के हितों की रक्षा व आगे बढ़ाने का काम किया जा सके। देश और विदेश में पर्यावरण के विनाश व खराब करने के हर कदम का विरोध करने के साथ–साथ, हिन्दोस्तानी मजदूर वर्ग द्वारा सभी मेहनतकश लोगों को सचेत करने की जरूरत है कि वर्तमान व्यवस्था में पर्यावरण की गंभीर समस्या का कोई समाधान संभव नहीं है। उसे हिन्दोस्तान में इस आदमखोर व पर्यावरण विनाशी पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के संघर्ष में लोगों को लामबंद करने की जरूरत है। ■

यू.एन.आई. कर्मचारियों का संसद पर मार्च

14 दिसम्बर, 2009 को आर्थिक संकट से जूझ रही लगभग 50 साल पुरानी समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया (यू•एन•आई•) को सरकार की ओर से वित्तीय पैकेज दिए जाने की मांग को लेकर यू•एन•आई• के सैकड़ों कर्मचारियों ने ससंद पर मार्च किया।

यू•एन•आई• कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में लोक राज संगठन के अलावा, पत्रकारों, मजदूर संगठनों के और मानवाधिकार संगठनों के कार्यकर्ताओं ने यू•एन•आई• प्रांगण में एकत्रित होकर, संसद की ओर मार्च किया।

ज्ञात रहे कि यू•एन•आई• के कर्मचारियों ने इस समाचार एजेंसी को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए एक लंबा संघर्ष लड़ा था।

यू•एन•आई• पिछले पचास वर्षों से बगैर किसी लाभ–हानि के असूल पर चलने वाली संस्था है। देश के अलग–अलग शहरों और राज्यों से हजारों की संख्या में निकलने वाले अखबारों के लिए समाचार के लिए यह संस्था एक बड़ा स्रोत है।

जुलूस के बाद आयोजित की गई सभा को बिरजू नायक (लोक राज संगठन), प्रो• भीम सिंह (पैंथर्स पार्टी), कमर आलम (राष्ट्रीय जनता दल), सुरेन्द्र नौटियाल (उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी), अमरजीत कौर (एटक), राजीव डिमरी (एक्टू), अजय त्यागी (पी•टी•आई• यूनियन), सैयद अहमद इकबाल (उर्दू प्रेस क्लब) और राजेश कुमार (यू•एन•आई• वर्कर्स यूनियन) आदि ने संबोधित किया। ■

Postal Regd. No. DL(S)-18/3177/2009-11
REGISTERED with registrar of newspapers
Reg. No.- 45893/86

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की 29वीं सालगिरह मनाई गयी

(पृष्ठ 1 का शेष)

दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेते हुये सहभागी

अपने आपको मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट या समाजवादी क्यों न कहती हो। अगर उनका लक्ष्य या कामकाज का नतीजा मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना नहीं है तो वह पूंजीपति वर्ग के राज को बरकरार रखने में और पूंजीवाद को जीवित रखने में ही सहायता कर रही है।

पेपर में मार्क्सवाद के मूलभूत निष्कर्ष पर जोर दिया गया, कि आधुनिक काल में सिर्फ दो प्रकार के ही राज्य हो सकते हैं। या तो एक राज्य पूंजीवाद को जारी रखकर पूंजीपतियों का हित रक्षण करता है, या फिर वह एक ऐसा राज्य हो सकता है जो पूंजीवाद को दफना कर और समाजवाद का निर्माण करके मजदूर वर्ग का हित रक्षण करता हो। इन दोनों के सिवाय और कुछ संभव नहीं है। जो इन दोनों के बीच में कुछ होने का दावा करते हैं वे वास्तव में पूंजीपतियों को पूंजीवाद को बरकरार रखने में ही मदद कर रहे हैं। चीन व पश्चिम बंगाल के अनुभव यही दिखाते हैं।

मजदूर वर्ग के राज और कम्युनिस्ट पार्टी के राज की संकल्पनाओं के बीच पेपर में साफ अंतर दिखाया गया। यह स्पष्ट किया गया कि वर्ग का राज होना चाहिये जबकि पार्टी को नेतृत्व देना चाहिये। सोवियत संघ के उत्थान व पतन का विश्लेषण करते हुये यह समझाया गया कि वहां मजदूर वर्ग के राज को पार्टी राज में बदल दिया गया था जो पूंजीपतियों के राज का ही एक स्वरूप है।

अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाली कई कम्युनिस्ट पार्टियां मजदूरों, किसानों, महिलाओं व नौजवानों को मजदूर वर्ग के राज के लक्ष्य से विपरीत लक्ष्य के लिये संगठित कर रही हैं। अपने देश के मजदूर वर्ग के बीच जो अज्ञान व झूठी चेतना फैलाई गयी है उसको हटाना हमारा कम्युनिस्ट कर्तव्य है। कम्युनिज़्म और झूठे कम्युनिज़्म के बीच में विभाजन की साफ लकीर खींचने की जरूरत है। तभी मजदूर वर्ग को हम क्रांतिकारी पथ पर नेतृत्व दे सकते हैं। तभी हम कम्युनिस्ट आंदोलन से पूंजीवादी विचारधारा के हर स्वरूप को निकालने के आधार पर, कम्युनिस्टों को एकजुट कर सकते हैं। 25 दिसम्बर को प्रस्तुत किये पेपर के संदेशों में यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश था।

26 दिसम्बर की कार्यवाही सहभागियों को अलग–अलग भाषाओं में पेपर की प्रतियां देने से शुरु की गयी। सबको इसका अध्ययन करने का समय दिया गया । इसके बाद चर्चा शुरु की गयी जिसकी अध्यक्षता कामरेड लाल सिंह ने की। 30 से भी अधिक सहभागियों ने उस दिन चर्चा में अपने विचार रखे।

27 दिसम्बर के दिन हिन्दोस्तान की क्रांति के मार्गदर्शक सिद्धांत पर प्रस्तुति की गयी जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद, मजदूरों, किसानों, महिलाओं व नौजवानों को देश का हुक्मरान बनाने और हिन्दोस्तान की धरती पर समाजवाद की स्थापना का समावेश था। क्रांति के जरिये पूंजीवादी व्यवस्था व ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र सहित, पूरी बस्तीवादी विरासत को उखाड़ फेंकना जरूरी है। प्रस्तुति के बाद प्रश्नोत्तर का सत्र था। अनेक साथियों ने बिना किसी बंदिश के अपने विचार व प्रश्न रख कर सक्रियता से इसमें भाग लिया।

समापन वक्तव्य देते हुये, कॉमरेड लाल सिंह ने पिछले 29 वर्षों में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की स्थापना व सुदृढ़ बनाने के काम के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे हिन्दोस्तानी धरती पर अपने पैर जमाने का संघर्ष करने वाली छोटी सी ताकत से बढ़ कर आज हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने कम्युनिस्ट आंदोलन में एक रणनैतिक स्थान बनाया है – एक ऐसी पार्टी बतौर जिसने हमेशा मजदूरों व किसानों को देश का हुक्मरान बनने में सक्षम करने का कार्य किया है।

उन्होंने समझाया कि हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के दरवाजे हर उस हिन्दोस्तानी के लिये खुले हैं जो श्रमजीवी वर्ग की क्रांति व समाजवाद के लिये काम करने का इच्छुक है। सभी नये सदस्यों पर वही अनुशासन लागू होता है; उसे पार्टी के बुनियादी संगठनों में से एक में काम करना पड़ता है। उन्होंने जोर दिया कि पार्टी का हर सदस्य उसके आचरण व काम के आधार पर परखा जाता है न कि उसके बोलने की काबिलियत के आधार पर। कम्युनिस्ट नेतृत्व के सार को समझाते हुये उन्होंने कहा कि नेता वही होता है जो दृढ़ता से पार्टी, इसकी लाईन व पार्टी संगठनों के सामूहिक निर्णयों की सुरक्षा करता है।

उत्सव, समारोह व दो दिन के सम्मेलन से सभी सदस्यों का हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को बनाने व मजबूत करने का मजदूर वर्ग को हुक्मरान वर्ग बनाने के काम को आगे बढ़ाने का तथा उस लक्ष्य से दिशाभूल करने वाली सभी लाईनों का पर्दाफाश करने व हराने का संकल्प और भी दृढ़ हुआ। ■

पार्टी द्वारा पेश किये गये पेपर पर अलग-अलग समूहों में चर्चा करते हुये सहभागी

मजदूर एकता लहर, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिये मधुसूदन कस्तुरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित तथा उन्हीं के तरफ से, न्यू प्रिन्ट कोटेज, बी–74, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज़–2, नई दिल्ली 110020 से मुद्रित, संपादक–चन्द्रभान, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, फोन 9868721375